

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 237

दिनांक 19/01/2024

प्रार्थी :-

1. गुडडीदेवी पत्नि मगाराम
 2. रमेश पुत्र मगाराम
 3. कृष्णकुमार पुत्र भूराराम
 4. दली पत्नि भूराराम
 5. जेतीदेवी पत्नि पोकराराम
 6. अमराराम
 7. लक्ष्मणराम पि. पोकराराम, जातियान जाट
- निवासी भारियों की बस्ती (गोलियार) तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण:-

1. भैराराम
2. पोकराराम
3. सोनाराम पि. वीरमाराम
4. ईशराराम
5. नगाराम
6. प्रेमराम पि. गुमनाराम, जाति जाट
7. उसमान
8. रिडमल पि. कासम
9. इब्राहीम
10. इस्माइल
11. जिमाल पि. अमीर
12. शौकतअली पुत्र राणाखान
13. सतबाई पत्नि शौकतअली
14. मुरीदअली पुत्र उसमान, जातियान सिंधी मुसलमान, निवासी भारियों की बस्ती (गोलियार)
15. मोहम्मद पुत्र आलम
16. अली पुत्र सगू
17. ईतिया पत्नि सगू, जातियान मुसलमान, निवासी ईशरोल, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
18. प्रधानाध्यापक राजीव गांधी पाठशाला भारियों की बस्ती,
19. तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 61/2023

दिनांक : 15.01.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र सणाऊ के मौजा भारियों की बस्ती के खेत खसरा सं. 231/170 रकबा 02.8652 हैक्टयेर, खसरा सं. 236/175 रकबा 07.0253 हैक्टयेर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 238 जो 241

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी गुडडीदेवी वगैरा
3. विप्रार्थीगण भैराराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 19/01/2024



(सूरजभान विश्नोई)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन